

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No.1541/2025

in

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2105/2025

1. Rehan Ali Alias Babar S/o Khadim Ali, Aged About 18 Years, Aged About 18 Years 5 Months R/o Tanga Adda Jhalawar Police Station Kotwali Jhalawar District Jhalawar(Raj)At Present Confined In District Jail Jhalawar)
2. Abdul Shakil Alias Wasim Alias W S/o Abdul Hamid, Aged About 28 Years, R/o Mirchi Bada Bazazr Jhalawar Police Station Kotwali Jhalawar District Jhalawar(Raj)(At Present Confined In District Jail Jhalawar)
3. Kuldeep Gupta S/o Rajesh Gupta, Aged About 35 Years, R/o Purana Post Office Ke Piche Mangalpura Jhalawar Police Station Kotwali Jhalawar District Jhalawar(Raj)(At Present Confined In District Jail Jhalawar)

-----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Appellant(s)	: Mr. Rohit Khandelwal
For Respondent(s)	: Mr. Jaiprakash Tiwari, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

12/02/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रेहान अली, अब्दुल शकील एवं कुलदीप गुप्तर की ओर से धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—187/2023, राज्य बनाम रेहान अली उर्फ बाबर व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 19.07.2025 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है, दौराने बहस उनका यह भी तर्क है कि दौराने विचारण अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दिनांक 19.07.2025 से लगातार न्यायिक अरिक्षा में हैं, मजरूब पक्ष के कोई प्राणघातक चोट नहीं रही है। अपील में अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने के संबंध में पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार लिए गए हैं, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक **12.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित

किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण 1. रेहान अली उर्फ बाबर पुत्र श्री खादीम अली, 2. अब्दुल शकील उर्फ वसीम उर्फ डब्ल्यू पुत्र श्री अब्दुल हमीद, 3. कुलदीप गुप्ता पुत्र श्री राजेश गुप्ता को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J